



2026:AHC:66564-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 413 के तहत आपराधिक अपील दोषपूर्ण संख्या- 61 वर्ष 2026

अनुजेश प्रताप उर्फ नरेंद्र कुमार अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार यादव, कृष्ण कांत यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 43

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र सिंह-I

(आपराधिक प्रकीर्ण विलंब माफी आवेदन संख्या-01 वर्ष 2026 पर आदेश)

धारा 413 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), न्यायालय संख्या-2 फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.11.2025 के खिलाफ दायर की गई है, जो केस अपराध संख्या-323 वर्ष 2012 से उत्पन्न केस अपराध संख्या-323 वर्ष 2012 से उत्पन्न धारा 307/34, 326/34, 307 और 326 भ०द०वि०, सत्र विचारण संख्या-601 वर्ष 2013 से उत्पन्न केस अपराध संख्या-362 वर्ष 2012 से उत्पन्न धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना-सिरसागंज जिला फिरोजाबाद के तहत केस अपराध संख्या-362 वर्ष 2012 से उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त फैसले के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने आरोपियों/प्रतिपक्षियों को बरी कर दिया है।

अपील 26 दिनों से अधिक समय के लिए बताई गई है।

विलंब माफी आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देरी माफी आवेदन की अनुमति है।

अपील दायर करने में देरी को इसके द्वारा माफ किया जाता है।

अपील के लिए नियमित संख्या आवंटित करने के लिए कार्यालय कारवाई करें।

(अपील ज्ञापन पर आदेश)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 18.05.2012 को सुबह 07:15 बजे, प्रतिपक्षियों/अभियुक्तों ने कमल सिंह और अपीलकर्ता, जो कमल सिंह के भतीजे हैं, को गाली दी और जब कमल सिंह ने विरोध किया, तो प्रतिपक्षियों ने अपीलकर्ता पर गोली चला दी और कमल सिंह ने उन्हें घायल कर दिया। प्रतिपक्षी यह सोचकर घटनास्थल से भाग गए कि घायल की मृत्यु हो गई है।

कमल सिंह के बेटे के कहने पर उसी तारीख को शाम 07:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अपराध संख्या-323 वर्ष 2012 दर्ज करने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट भ०द०वि० की धारा 307 के तहत दर्ज की गई थी। जांच के बाद, प्रतिपक्षियों के खिलाफ भ०द०वि० की धारा 307/34, 326/34, 307 और 326 भ०द०वि० के तहत और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत प्रतिपक्षी संख्या-4 और 5, यानी सौरभ कुमार और वरुण कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप पत्र कथित तौर पर प्रतिपक्षी संख्या-4 और 5 के खुलासे पर हथियारों की बरामदगी के कारण सामने आए थे। चूंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञेय था, इसलिए संबंधित मजिस्ट्रेट ने मामलों को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में भेज दिया। भ०द०वि० की धारा 307/34, 326/34, 307 और 326 आर्म्स एक्ट और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिपक्षियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। प्रतिपक्षियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पहले सूचनाकर्ता से अ०सा०-1 के रूप में पूछताछ की, घायल कमल सिंह और नरेंद्र को क्रमशः अ०सा०-2 और अ०सा०-4 के रूप में, कथित चश्मदीद गवाह जो अ०सा०-6, अ०सा०-7 और अ०सा०-8 के रूप में घायलों के समान परिवार से संबंधित थे। घायलों की जांच करने वाले डॉक्टरों की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच अभियोजन पक्ष द्वारा अंसां-3 और अंसां-11 के रूप में की गई थी। जांच अधिकारियों और प्राथमिकी लेखक की जांच अभियोजन पक्ष द्वारा अंसां-5, अंसां-9 और अंसां-10 के रूप में की गई थी।

अपनी गवाही में, अंसां-1 ने इस बात से इनकार किया कि अपराध किए जाने के समय वह मौके पर मौजूद था और कहा कि उसने घटना का वर्णन किया था और ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी पर आरोपी का नाम बताया था। अंसां-2, जो घायलों में से एक था, ने गवाही दी कि उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन इस बात से इनकार किया कि प्रतिपक्षियों ने घायलों के साथ दुर्व्यवहार किया था। अंसां-2 ने इस बात से भी इनकार किया कि उसने आरोपी को उस पर या अंसां-4 पर गोली चलाते हुए देखा था। इसी तरह, अंसां-4 ने भी अपनी गवाही में कहा कि हमलावरों ने उन पर गोली चलाते समय अपना चेहरा ढक लिया था, इसलिए, वह और अन्य घायल, यानी अंसां-2 उन व्यक्तियों की पहचान या देख नहीं सके जो उन पर गोली चला रहे थे। अंसां-6 जो अंसां-2 की बेटी है, ने भी प्रतिपक्षियों, यानी अभियुक्तों को घायलों पर गोली चलाते हुए देखने से इनकार किया। इसी तरह, अंसां-7 ने भी उक्त तथ्य से इनकार किया। अंसां-1, अंसां-6 और अंसां-7 ने अपनी गवाही में कहा है कि वे घटना के बाद मौके पर पहुंचे और देखा कि अंसां-2 और अंसां-4 उन पर चलाई गई गोलियों से घायल हो गए थे। अंसां-1, अंसां-2, अंसां-4, अंसां-6 और अंसां-7 को अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था और उन्हें उपरोक्त गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, विचारण न्यायालय ने बरी होने के अपने फैसले में नोट किया कि अभियोजन पक्ष अपनी जिरह में उक्त गवाह से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकाल पाया था। विचारण न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले अपील के ज्ञापन में उपरोक्त गवाह के साक्ष्य में किसी भी पुनरावृत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करेगा।

अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई एकमात्र गवाह जिसने कहा कि उसने आरोपी को घायल पर गोली चलाते हुए देखा था, वह अंसां-8 है जो अंसां-7 का बेटा है। अंसां-8 ने अपनी गवाही में कहा कि आरोपी राइफलों और देसी पिस्तौल से लैस थे और उन्होंने अंसां-2 और अंसां-4 पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उपरोक्त



व्यक्ति घायल हो गए। विचारण न्यायालय ने गवाह को इस आधार पर अविश्वसनीय माना है कि अ०सा०-8 और अन्य गवाहों की गवाही के बीच बड़े विरोधाभास थे। इसके अलावा, अ०सा०-8 की गवाही की पुष्टि नक्शा नज़री या अभिलेखों पर अन्य दस्तावेजों से नहीं की गई थी। विचारण न्यायालय ने नोट किया है कि नक्शा नज़री उस दिशा के बारे में अ०सा०-8 के दावे की पुष्टि नहीं करता है जिससे आरोपी मृतक पर गोली चलाने आया था। इसके अलावा, नक्शा नज़री भी मौके पर घायलों की उपस्थिति नहीं दिखाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि भले ही अ०सा०-8 ने गवाही दी है कि आरोपियों ने घायलों के साथ दुर्यवहार करने के बाद उन पर अंधाधुंध गोली चलाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उस गोद से किसी भी खाली कारतूस या किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री की कोई बरामदगी नहीं की गई थी, जहां घायल कथित तौर पर बैठे थे जब आरोपी ने उन पर गोली चलाई थी। विचारण न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि अ०सा०-8 की गवाही, कि आरोपी ने अ०सा०-2 और अ०सा०-4 के साथ दुर्यवहार किया था, की भी अ०सा०-2 और अ०सा०-4 की गवाही से पुष्टि नहीं होती है, जिन्होंने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी ने कभी उनका दुरुपयोग किया था।

यह भी देखा गया है कि घायल - अपीलकर्ता, जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा अवर न्यायालय में अ०सा०-4 के रूप में जांच की गई थी, ने कहा है कि वह हमलावरों की पहचान नहीं कर सका क्योंकि हमलावरों ने उनके चेहरे ढक लिए थे। अ०सा०-4 की उपरोक्त गवाही हमलावरों की पहचान के संबंध में अ०सा०-8 के दावे का खंडन करती है। विचारण न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि अपनी गवाही में अ०सा०-8 ने कहा है कि उसने अ०सा०-1 को घटना के बारे में बताया था और इस तथ्य के बारे में कि वह घटना का चश्मदीद गवाह था। अ०सा०-1 के कहने पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अ०सा०-8 का नाम नहीं है। उपरोक्त आधारों पर, विचारण न्यायालय ने अ०सा०-8 की गवाही को खारिज कर दिया है और उसकी गवाही को अविश्वसनीय माना है।

अ०सा०-8 की गवाही के अलावा, अभियोजन पक्ष प्रतिपक्षी संख्या-4 और 5 के प्रकटीकरण बयानों पर हथियारों की बरामदगी पर निर्भर करता है। अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी एक खुले सार्वजनिक स्थान से की गई है



और उक्त बरामदगी के बारे में जनता की ओर से कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। विचारण न्यायालय ने दर्ज किया कि रोज़नामचा में इस तथ्य के बारे में कोई प्रविष्टि नहीं है कि आरोपी को उस स्थान पर ले जाया गया था जहाँ से कथित तौर पर प्रतिपक्षी संख्या-4 और 5 के खुलासे पर हथियार बरामद किए गए थे। यह कहा गया है कि हथियारों को फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है और विचारण न्यायालय ने नोट किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि प्रतिपक्षी संख्या-4 और 5 के खुलासे पर कथित तौर पर बरामद हथियार काम करने योग्य थे।

अभियोजन पक्ष के मामले में उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए, अवर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया है और अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम नहीं है।

हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आकलन में कोई विकृति या कोई अन्य अवैधता नहीं मिलती है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक बोधगम्य दृष्टिकोण है और सबूतों पर आधारित है। प्रस्तुत अपील में तथ्य या कानून या विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आकलन के संबंध में कोई आधार नहीं उठता है।

उपरोक्त सभी कारणों से, हम मामले के अभिलेखों को तलब करने के बाद अपीलकर्ता के कहने पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का मामला नहीं मानते हैं।

अपील को सरसरी तौर पर **खारिज** किया जाता है।

अपील के लिए नियमित संख्या आवंटित करने के बाद और विचारण न्यायालय को वर्तमान निर्णय की एक प्रति प्रमाणित करने के बाद फाइल को अभिलेखों में भेज दिया जाए।

मार्च 30, 2026

विपाशा

(न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)